न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 130/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 मांगीलाल पुत्र श्री पेमाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।		1. मांगीलाल पुत्र श्री पन्नाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. फेफी पत्नी श्री स्व. श्री पेमाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		2. चुकीवाई पत्नी श्री मांगीलाल जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		3. चनणाराम पुत्र श्री पन्नाराम जी कायम मुकाम— 3/1 कुकीवाई पत्नि श्री चनणाराम 3/2 लीलादेवी पुत्री चनणाराम 3/3 कोशल्या पुत्री श्री चनणाराम 3/4 शर्मिला पुत्री चनणाराम 3/5 ललितराज पुत्र श्री चनणाराम जातियान सीरवी निवासीगण सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
		4. दुदाराम पुत्र श्री पन्नाराम के कायम मुकाम— 4/1 तेजाराम पुत्र श्री दुदाराम 4/2 मन्जु देवी पुत्री दुदाराम 4/3 नितुदेवी पुत्री दुदाराम जातियान सीरवी निवासीगण सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
		5. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री कार्तिकेय आशिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक — 17/12/2024

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सियाट, पटवार हल्का सियाट, भू0 अभि0 नि0 सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 677 रकवा 1.5900 है0 आई हुई स्थित है, उक्त वर्णित वादस्थ आराजी कृषि भूमि खसरा 677 सेटलमेन्ट के गत खसरा संख्या 542 से बना है, जो खसरा मिलान से साबित है। गत खसरा संख्या वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का वशवृक्ष इस प्रकार है कि तुलछाराम, तिलोकराम, खरताराम, हिरालाल पिसरान लालाराम, पन्नालाल, पेमाराम पिसरान हिरालाल, मांगीलाल, चनणाराम, दुर्गाराम पुत्रान् पन्नालाल, फैफी पत्नि पेमाराम, मांगीलाल पुत्र पेमाराम हुए। सेटलमेन्ट के गत खसरा संख्या 534, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 549, 548 की कृषि भूमि वादीगण के दादा हिराराम व उनके भाई खरताराम, तिलोकराम, तुलसाराम का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमि से बने नये खसरा नम्बर 673 से 692 बने है, जिसमें खसरा संख्या 677 भी गत खसरा संख्या 542 से ही बना है। लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान खसरा संख्या 673 से 676 एवं 678 से 692 में वादीगण के पिता पेमाराम का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नाम दर्ज चला आ रहा है, लेकिन खसरा संख्या 677 में वादीगण के पिता का नाम सहवन से हट गया है तथा वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त खसरा संख्या 677 में वादी के पिता का 1/12 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/12 का 1/2 हिस्सा है। जिस अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 चनणाराम का 1/72 + 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 दुदाराम का 1/72+1/72 हिस्सा दर्ज सुदा है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा दर्ज सुदा है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 677 में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/12 का 1/2 हिस्सा बनता है तथा वादीगण का 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा कानूनन बनता है, लेकिन तत्कालिन पटवारी की भूलवंश से वादीगण के पिता/पति पेमाराम जी का नाम दर्ज करने से रह गया है। हिरारामजी के दो पुत्र पेमाराम व पन्नाराम जी हुए तथा पन्नाराम जी के वारिसान मांगीलाल, चनणाराम एवं दुदाराम है। तथा पेमाराम के वारिसान वादीगण है, जिससे उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे दर्ज प्रतिवादीगण के 1/12 हिस्सा मे वादीगण का 1/12 का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा बनता है। सेटलमेन्ट के समय खसरा संख्या 673 से 678 एवं 678 से 692 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा वादीगण के पिता/ पति पेमाराम जी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज किया जा चुका है, लेकिन खसरा संख्या 677 में सहवन से वादीगण के पिता/पति का नाम सहवन से छूट जाने से वादीगण के नाम दर्ज नही हो सका। जबकि उक्त कृषि भूमि पर वादीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 677 में पुनः अपने नाम प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज कृषि भूमि के 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हक हिस्से का खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमायी जावे कि सरहद मौजा ग्राम सियाट के वर्तमान खसरा संख्या 677 रकबा 1.5900 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 कर संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा का वादीगण का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारों द्वारा दिनांक 14.06.2024 को आपसी सहमति का राजीनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सियाट, पटवार हल्का सियाट, भू0 अभि0 नि0 सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 677 रकबा 1.5900 है0 की आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में वादीगण के पिता/पति का नाम दौराने सेटलमेन्ट सहवन से नाम हट गया था। जिससे वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। जबकि मौके पर वादीगण का 1/24 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा वादी के द्वारा चाही गई इस्तदुआ के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण से कोई उज्र ऐतराज नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका वंश वृक्ष इस प्रकार है कि तुलछाराम, तिलोकराम, खरताराम, हिरालाल पिसरान लालाराम, पन्नालाल, पेमाराम पिसरान हिरालाल, मांगीलाल, चनणाराम, दुर्गाराम पुत्रान् पन्नालाल, फैफी पत्नि पेमाराम, मांगीलाल पुत्र पेमाराम हुए। सेटलमेन्ट के समय खसरा संख्या 673 से 678 एवं 678 से 692 की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम दर्ज चला आ रहा है तथा वादीगण के पिता / पति पेमाराम जी का स्वर्गवास होने के वाद उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज किया जा चुका है, लेकिन खसरा संख्या 677 में सहवन से वादीगण के पिता/पति का नाम सहवन से छूट जाने से वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो सका। जबकि उक्त कृषि भूमि पर वादीगण अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 677 में पुनः अपने नाम प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज कृषि भूमि के 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हक

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज0)

हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने की ईस्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान उभय पक्षों द्वारा माफिक राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार कर डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद एवं आपसी सहमति का राजीनामा का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि ख.नं. 677 में पुनः अपने नाम प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि के 1/12 हिस्सा का 1/2 यानि 1/24 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः माफिक राजीनामा अधिवक्ता मय वादी का उक्त वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौज़ा ग्राम सियाट, पटवार हल्का सियाट, भू0 अभि0 नि0 सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 677 रकबा 1.5900 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तीब किया जावे। पत्रावली बाद पालना फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17/12/2024 को में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदद्में इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण

1 मांगीलाल पुत्र श्री पेमाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
2. फेफी पत्नी श्री स्व. श्री पेमाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र श्री पन्नाराम जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. चुकीबाई पत्नी श्री मांगीलाल जी जाति सीरवी निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. चनणाराम पुत्र श्री पन्नाराम जी कायम मुकाम–
   3/1 कुकीबाई पत्नि श्री चनणाराम
   3/2 लीलादेवी पुत्री चनणाराम
   3/3 कोशल्या पुत्री श्री चनणाराम
   3/4 शर्मिला पुत्री चनणाराम
   3/5 ललितराज पुत्र श्री चनणाराम
   जातियान सीरवी निवासीगण सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
4. दुदाराम पुत्र श्री पन्नाराम के कायम मुकाम–
   4/1 तेजाराम पुत्र श्री दुदाराम
   4/2 मन्जु देवी पुत्री दुदाराम
   4/3 नितुदेवी पुत्री दुदाराम जातियान सीरवी निवासीगण सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
5. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 130/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा श्री कार्तिकेय आशिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम सियाट, पटवार हल्का सियाट, भू0 अभि0 नि0 सोजत रोड़ तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 677 रकबा 1.5900 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा का 1/2 हिस्सा यानि 1/24 हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17/12/2024 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)